

Ref. No. NPCC/PMGSY/335

Date: 10/01/2025

सेवा में
प्रभागीय वनाधिकारी महोदय
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर, जिला- चमोली

विषय: जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVIII के अंतर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027)किमी 10 से सुयाल्कोट मोपाटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु – अनुपालन आख्या के सम्बंध में
संदर्भ: 8बी/यू0सी0पी0. /06/85/2020/एफ.सी./287 dated 31/05/2023

महोदय

विषयक मोटर मार्ग में दिनांक 14/10/2020 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। उक्त मोटर मार्ग की अनुपालना आख्या भारत सरकार स्तर से उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा कुछ त्रुटियों के साथ लौटा दी गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पत्र में उल्लिखित त्रुटियों का निराकरण कर लिया गया है जो निम्नवत है –

क्र सं	त्रुटियाँ	निराकरण
1	The state govrment is requested to submit the revised CA scheme in accordance to the funds deposited	Revised CA scheme is attached.
2	Undertakings with respect to the condition no 2 (kha) is required to be submitted	Undertakings with respect to the condition no 2 (kha) is attached.
3	The state govrment is requested to submit the detailed action taken report /inquiry report against the illegal muck dumping .	detailed action taken report /inquiry report is attached.
4	Compliance report from nodal department with appropriate comment on each condition is requested to be submitted.	Compliance report from nodal department with appropriate comment on each condition is attached.

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद



वरिष्ठप्रबंधक
एन पी सी सी
उत्तर प्रदेश जोन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

2. जोनल मैनेजर, एन.पी.सी.सी, उत्तराखंडजोन, देहरादूनको सूचनार्थप्रेषित

।जना का नाम:-जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग के किमी0 10 से
टा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 03.008 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप दो गुना क्षेत्र 06.016
है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

वृक्षारोपण स्थल का नाम :-

रेंज- नागनाथ वन क्षेत्र, नागनाथ।

कुल क्षेत्रफल- 06.016 है0

कालौडाण्डा रिजर्व कक्ष संख्या 03(ब)

प्रभाग- केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।

रोपित किये जाने वाले पौधों की सं0- 6618 पौध

प्रथम वर्ष					
क्र0सं0	कार्य का विवरण (प्रथम वर्ष)	मात्रा	इकाई	इकाई दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वे एवं सीमांकन कार्य करना	6.016	है0	209.25	1258.85
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	6.016	है0	2624.00	15785.98
3	दीवाल बन्दी (फैन्सिंग)	6.016	है0	57483.27	345819.35
4	भूमि एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्य हेतु प्राविधान	6.016	है0	11984.00	72095.74
5	गड्ढे खुदान (0.30X0.30X0.45) रेखांकन सहित	6618	सं0	14.28	94505.04
6	निरीक्षण बटिया बनाना	6.016	है0	1314.09	7905.57
7	कण्टूर फरों का रेखांकन 3.0X0.45X0.30 mtr	600	सं0	1.43	858.00
8	कण्टूर फरों का खुदान 3.0X0.45X0.30 mtr	600	सं0	137.56	82536.00
9	पौधों का मूल्य	6618	सं0	24.20	160155.60
10	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्य पर व्यय	6.016	है0	1200.51	7222.27
11	अन्य व्यय।			LS	22400.00
कुल योग-					810542.40
द्वितीय वर्ष					
1	गड्ढों का भरण (0.30X0.30X0.45)	6618.0	सं0	2.45	16214.10
2	पौधों का मूल्य	6618	सं0	4.31	28523.58
3	पौध का ढुलान कार्य	6618	सं0	14.25	94306.50
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	6618	सं0	4.61	30508.98
5	निराई गुड़ाई व मल्टिग (दो बार)	6618	सं0	7.10	46987.80
6	कण्टूर फरों में बीज/ कटिंग लगाना।	600	सं0	10.42	6252.00
7	कण्टूर फरों में खाद मिलाना नाली को भूतल से 20 सेमी0 उपर उठाकर भरण कर दवाना।	600	सं0	10.42	6252.00
8	खाद व दवा पर व्यय	6618	सं0	1.62	10721.16
9	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय 7 माह	7	माह	6187.00	43309.00
10	रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस को हटाना	6.016	है0	516.00	3104.26
11	सुरक्षा घेरवाड के बाहर चारों ओर 05 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	6.016	है0	304.00	1828.86
12	श्रमिकों एवं सामग्री हेतु छप्पर निर्माण, प्रचार प्रसार आदि।	6.016	है0	2040.00	12272.64
13	अन्य व्यय।			LS	20000.00
कुल योग-					320280.88

नागनाथ वन क्षेत्र नागनाथ
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग

तृतीय वर्ष 10%

गड्ढा खोदना व पौध रोपण कार्य	662.0	सं०	20.60	13637.20
पौध का ढलान कार्य	662	सं०	14.25	9433.50
पौधों की कीमत	662	सं०	34.44	22799.28
पौध निराई-गुड़ाई कार्य करना। प्रथम	6618	सं०	1.83	12110.94
रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस को हटाना	6.016	है०	516.00	3104.26
सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 05 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	6.016	है०	304.00	1828.86
रोपण वर्ष के उपरान्त अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	माह	6187.00	74244.00
अन्य व्यय।			LS	20000.00
कुल योग-				157158.04

चतुर्थ वर्ष

1 निराई गुड़ाई व मल्लिचंग	6618	पौध	7.00	46326.00
2 देख-रेख पर व्यय 12 माह।	12	माह	6187.00	74244.00
3 रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस को हटाना	6.016	है०	516.00	3104.26
4 सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 05 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	6.016	है०	304.00	1828.86
5 अन्य व्यय।			LS	20000.00
योग				145503.12

पंचम वर्ष

1 देख-रेख पर व्यय 12 माह।	12	माह	6187.00	74244.00
2 रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस को हटाना	6.016	है०	516.00	3104.26
3 सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 05 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	6.016	है०	304.00	1828.86
4 अन्य व्यय।			LS	20000.00
योग				99177.12

षष्ठम वर्ष

1 देख-रेख पर व्यय 12 माह।	12	माह	6187.00	74244.00
2 रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस को हटाना	6.016	है०	516.00	3104.26
3 सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 05 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	6.016	है०	304.00	1828.86
4 अन्य व्यय।			LS	20000.00
योग				99177.12

सप्तम वर्ष

1 देख-रेख पर व्यय 12 माह।	12	माह	6187.00	74244.00
2 रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस को हटाना	6.016	है०	516.00	3104.26
3 सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 05 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	6.016	है०	304.00	1828.86
4 अन्य व्यय।			LS	20000.00
योग				99177.12

Okesh

आमनाश के क्षेत्र नागनाथ
के अन्तर्गत वन्य जीव प्रभाग

अष्टम वर्ष					
	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	12	माह	6187.00	74244.00
	रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस को हटाना	6.016	है०	516.00	3104.26
3	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 05 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	6.016	है०	304.00	1828.86
4	अन्य व्यय।			LS	20000.00
योग					99177.12
नवम वर्ष					
1	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	12	माह	6187.00	74244.00
2	रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस को हटाना	6.016	है०	516.00	3104.26
3	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 05 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	6.016	है०	304.00	1828.86
4	अन्य व्यय।			LS	20000.00
योग					99177.12
दशम वर्ष					
1	देख-रेख पर व्यय 12 माह।	12	माह	6187.00	74244.00
2	रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास फूस को हटाना	6.016	है०	516.00	3104.26
3	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारों ओर 05 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।	6.016	है०	304.00	1828.86
4	अन्य व्यय।			LS	20000.00
योग:-					99177.12
G.TOTAL=					2,028,547.16
OR SAY=					2,028,499.00

प्रमुख वन संरक्षक (M.O.B.M.) कार्यालय के फांफा क-9न2/3-5-2(III)
 दि० 21-11-2017 द्वारा क्षतिपूर्त वृक्षारोपण वर्ष 2020-21 हेतु
 निर्धारित दर अनुसार देय = 6.016×337184.00
 $= 2028498.94 \approx 2028499.00$

4 किया रूपये 20,28,499.00 मात्र
 हे लिए।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागाय वन्यजीव प्रभाग
 केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
 गोपेश्वर।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल
खेता मोटर मार्ग (L027) के किमी 0-10 (सुयालकोट) से मोपाटा लिंक
मोटर मार्ग

प्रमाणित किया जाता है, कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वन भूमि में
कालौडांडा रि०क०सं० 3४ में स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
नागनाथ वन क्षेत्र नागनाथ
वन क्षेत्राधिकारी
नागनाथ वन क्षेत्र
नागनाथ वन क्षेत्र

प्रभागीय वन्यजीव विभाग
पशुपति वन्यजीव विभाग
केदारनाथ वन्यजीव विभाग
बद्रीनाथ वन्यजीव विभाग
(धर्मोत्तरी)

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय वदीनाथ वन-प्रभाग जोधपुर के प्रजांक सं. 6513/12-1 दिनांक 17-06-2023 के अनुपालन में देवालखेता मोटरमार्ग के कोटड़ा [L.O. 27] से मोपारा तक मोटर मार्ग के डम्पिंग जौन का संयुक्त निरीक्षण श्री मनोहर सिंह राजवाड़ा वनवीर अधिकारी मोपारा कीट श्री प्रदीप सिंह गुर्गई A.F.C.W.P.C.C.) व वासवानन्द चमोला व दंडो कोरागाड़ अनुभाग के द्वारा किया गया, संयुक्त निरीक्षण के दौरान पता चला कि मोटर मार्ग को वर्ष 2020-21 में शैक्षणिक स्वीकृति प्राप्त थी तथा R.M. 2 से R.M. 4 के बीच पहाड़ पर तीन भूजाओं में मार्ग है जिसके तीसरी वाली भूजा के उपर पुराने भूस्खलन के गिहान पड़े गये जिसमें वर्तमान में झाणियां जमी हैं, पुराने डम्पिंग क्षेत्र में मलबा भरा हुआ है जो वर्तमान में कृत्रिम है, कार्यवाही सम्पन्न द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2022-23 में अतिवृष्टि से इस मार्ग पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ जिसके कारण डम्पिंग जौन कवरि गस्त हो गया है उसी वजह से भूस्खलन में आया हुआ मलबा स्थल-उधर बिखरा हुआ है,

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सेवा में प्रेषित

(प्रदीप सिंह गुर्गई)

A.F.

W.P.C.C.

(मनोहर सिंह राजवाड़ा)

वनवीर अधिकारी

मोपारा कीट

(वासवानन्द चमोला)

व.दंडो

कोरागाड़ अनुभाग

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक 1393/12-1, गोपेश्वर,

दिनांक

सितम्बर 20/10/2020।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड-।
कर्णप्रयाग।

विषय:-

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग के किमी0 10 से मोपाटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.008 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

आपका पत्रांक एन0पी0सी0सी0/पी0एम0जी0एस0वाई0/117 दिनांक 16.10.2020.

महोदय,

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/85/2020/एफ0सी0/1563 दिनांक 14.10.2020 से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा मांग पत्र हेतु लिखा गया है, उक्त मोटर मार्ग के सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र प्रेषित की जा रही है:-

- 1- शर्त सं0 03(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 3.008 है0 गैर वानिकी भूमि अवनत वन भूमि कालोडाण्डा रि0 कक्ष सं0 3ब पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित दर रू0 3,37,184.00 के अनुसार 6.016 है0/= 20,28,498.944 या रू0 20,28,499.00 मात्र जमा की जानी है।
2. शर्त सं0 4(क) के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार 3.008 है0 दर रू0 8,45,000.00= रू0 25,41,760.00 जमा की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये का कष्ट करे। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Ref. No. NPCC/PMGSY/334

Date: 11/01/2025

सेवा में,
श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

विषय: जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVIII के अंतर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) किमी 10 से सुयाल्कोट मोपाटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु – अनुपालन आख्या के सम्बंध में
संदर्भ: 8बी/यू0सी0पी0. /06/85/2020/एफ.सी./287 dated 31/05/2023

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0 06/85/2020/एफ.सी./1563 dated 14/10/2020 को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी। अधिरोपित शर्तों का बिंदुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

क्रसं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	उक्त बिंदु वन विभाग सम्बंधित है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.016 हे० अवनत वन भूमि कालौडाडा रि० क०स० 3 ब पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लाटेशन से बचें।	उक्त बिंदु वन विभाग सम्बंधित है।
	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	अतिरिक्त प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	उक्त बिंदु वन विभाग सम्बंधित है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 3.

	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP)C(संख्या 1995/202में 1A नवंबर 556दिनांक 30-10-2002,01-08-28 ,2003-03- ,2008 24-04-2008एवं09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/ 1998-एफ.सी (P-t2) दिनांक 18-09-2003] 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03-10-2006एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.008 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	008 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की लागत जमा की जा चुकी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शपथ पत्र संलग्न है
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 179trees including 30 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जा चुकी है।
7	State Govt will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt- will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	उक्त बिंदु वन विभाग सम्बंधित है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ईपोर्टल h)https://parivesh-nic-in (के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरणकोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के अनुरूप धनराशी ईपोर्टल h)https://parivesh-nic-in (के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरणकोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/ जमा की जा चुकी है।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की	

	संख्या बढ़ाएगा।	
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्र में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोतसे पर्याप्त सकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त मान्य है।
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि का प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीजकी अवधि के साथ अथवापरियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कमहो लक्षित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
19	वन भूमिका उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मेंविनिर्दिष्ट के प्रयोजन अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतुप्रत्यावर्तित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसिया विभाग अथवा व्यक्ति का हस्तारित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या11-42/2017-FCदिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समयपरनिर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता; अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन	शर्त मान्य है।

	विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
24	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अनुमति ली जाएगी।	शर्त मान्य है।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।

धन्यवाद



वरिष्ठप्रबंधक

एन पी सी सी

उत्तर प्रदेश जोन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखंड को सूचनार्थप्रेषित

2जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थप्रेषित

3जोनल मैनेजर, एन.पी.सी.सी, उत्तराखंडजोन, देहरादूनको सूचनार्थप्रेषित

प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) किमी 10 से सुयाल्कोट मोपाटा मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06/85/2020एफ०सी०/1563 (भारत सरकार) दिनांक 14/10/2020 को कतिपय शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गयी थी।

शर्त संख्या 4 क) के अनुपालना में स्वीकृति अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 5-3/2007एफ सी दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार गणना करके प्रभावित क्षेत्र के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि ऑनलाइन जनरेट चालन के अनुसार रुपये 25,41,760.00 प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।

शर्त संख्या 4 ख) के अनुपालना विशेषज्ञसमिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जाएगा।

भवदीय



वरिष्ठ प्रबंधक
एन पी सी सी
उत्तर प्रदेश जोन

6	FP/UK/ROAD/46488/2020	ROAD464882020288	6146488288	21 Jan 2021	Total : 4456306/- CA: 2973963/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3726450/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6700413/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :08 Feb 2021 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :09 Feb 2021 Transaction Date :10 Mar 2021	Demand Letter Generated Challan
7	FP/UK/ROAD/38362/2019	ROAD383622019436	6138362436	31 Aug 2020	Total : 6700413/- CA: 4418796/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 5536863/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 9955659/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :25 Sep 2020 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :30 Sep 2020 Transaction Date :22 Jan 2021	Demand Letter Generated Challan
8	FP/UK/ROAD/38366/2019	ROAD383662019832	6138366832	14 Oct 2020	Total : 4570259/- CA: 2028499/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 2541760/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4570259/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :28 Oct 2020 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :29 Oct 2020 Transaction Date :21 Jan 2021	Demand Letter Generated Challan
9	FP/UK/ROAD/38365/2019	ROAD383652019901	6138365901	06 Jul 2020	Total : 7566452/- CA: 3358352/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 4208100/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 7566452/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :13 Jul 2020 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :04 Aug 2020 Transaction Date :08 Oct 2020	Demand Letter Generated Challan

॥ कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्डर रेंज, देवाल ॥

Email Id- rangeofficedewal@gmail.com

पत्रांक: 66/12 दिनांक: देवाल, 20/8/2024
सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

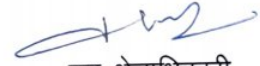
विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज- XVIII के देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के निर्माण हेतु 3.008 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No-FP/UK/ROAD/38366/2019).

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक सं० 6513/12-1 दिनांक 17/06/2023।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि रेंज स्थरीय संयुक्त टीम एवं कार्यदायी संस्था NPCC के ए० ई० श्री प्रदीप सिंह के साथ उक्त मोटर मार्ग का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसकी जिसकी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर में सादर प्रेषित।

संलग्न:- संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।

भवदीय



वन क्षेत्राधिकारी,
पूर्वी पिण्डर रेंज देवाल
बद्रीनाथ वन प्रभाग।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone @ Fax No&01372252149 Email-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- 5801 /12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 05/6/2024

सेवा में,

प्रबन्धक,
एन0पी0सी0सी0,
थराली।

विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-XVIII के देवालखेता किमी0 10 (सुयालखेता) से मोपाटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.008 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/38366/2019)

सन्दर्भ:- भारत सरकार के कार्यालय के पत्रांक 08बी/यू0पी0सी0/06/85/2020/एफ0सी0/287, दिनांक 31.05.2023 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक NPCC/PMGSY/154, दिनांक 18/01/2024।

महोदय,

उपरोक्त विषय में भारत सरकार के कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित बिन्दु संख्या 01 के द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग निर्माण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र (कालोडाण्डा रिजर्व Degraded Forest Land) हेतु संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम चाही गई है।

अतः बिन्दु सं0 01 के क्रम में संशोधित CA स्कीम प्रतिहस्ताक्षर कर आपके कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अभिमान्यु),

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Integrated Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

दिनांक: 31/05/2023

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/85/2020/एफ.सी. | 207

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद - चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज - XVIII के देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के निर्माण हेतु 3.008 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/38366/2019)
सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 2588/FP/UK/ROAD/38366/2019 दिनांक 16.05.2023 (Received online on 17-05-2023)

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.10.2020 द्वारा प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अनुपालना आख्या में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी है। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनाएँ प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. The State Government is requested to submit a revised CA scheme in accordance to the funds deposited.
2. Undertakings with respect to the condition 2(ख) is required to be submitted.
3. The State Government is requested submit the detailed action taken report / inquiry report regarding the illegal muck dumping.
4. Compliance report from the Nodal Officer with appropriate comments on compliance on each condition is also requested to be submitted.

उपरोक्त बिन्दुओं पर जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे) 31/5/23
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)



स/प/र/प
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

पत्रांक - 6513 / 12-1
दिनांक - 17/06/2023
परिलिपि - प्रबन्धक, NPCC थराली को उपरोक्तानुसार इस
आशय के प्रेषित कि किन्तु रु० ०२ और ०४ की सूचना इस
कार्यालय को उपलब्ध करने का लक्ष्य है।
परिलिपि :- वन प्रशासिक, इकी किरा रुं देवाल को इस आशय
के प्रेषित की किन्तु रु० ०१ और ०३ की सूचना थराली
इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित है।

निगमनाथ प्राधिकृत
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(बमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

or